दिनांक–06.02.2026 को सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग की अध्यक्षता में विधानमंडल सत्र में माननीय सदस्यों द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्नों का उत्तर प्रतिवेदन के संबंध में क्षेत्रीय पदाधिकारियों के साथ V.C के माध्यम से आयोजित समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाहीः–

- बिहार विधानमंडल के माननीय सदस्यों द्वारा विधान सभा/विधान परिषद में विभाग से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसका उत्तर संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा दिए जाने से पहले स्वयं अपने से योजना की जॉच करेंगे। तदोपरांत कार्यपालक अभियंता उत्तर प्रतिवेदन तैयार कर संबंधित अधीक्षण अभियंता को उपलब्ध करायेंगे। अधीक्षण अभियंता प्रश्नोंतर प्रतिवेदन का अनुश्रवण कर संबंधित क्षेत्रीय मुख्य अभियंता को उपलब्ध करायेंगे। क्षेत्रीय मुख्य अभियंता प्राप्त प्रतिवेदन से भली–भॉति संतुष्ट होने के उपरांत अपनी सहमति के साथ मुख्यालय को समर्पित करेंगे एवं जिसमें यह उल्लेखित हो कि वे प्रतिवेदित तथ्य से पूर्ण रूप से सहमत हैं।

अनुपालनः–सभी क्षेत्रीय मुख्य अभियंता /सभी अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता।

- समीक्षा के क्रम में संज्ञान में आया कि कतिपय प्रमंडलों में बिजली बिल का भुगतान लंबित रहने के कारण योजना अक्रियाशील है एवं बड़ी संख्या में ''हर घर नल का जल'' योजनाओं में ऑपरेटरों के द्वारा संचालित नहीं की जा रही है। सभी कार्यपालक अभियंताओं को निदेशित किया गया कि इन समस्याओं का निराकरण कर योजनाओं को सुचारू रूप से क्रियाशील करेंगे। PRD से संबंधित योजनाओं में यदि पम्प चालक का मानदेय भुगतान लंबित है तो संबंधित जिला पदाधिकारी के संज्ञान में लाएँगे। उसके बाद भी अगर कार्रवाई नहीं की जाती है तो अधोहस्ताक्षरी को पत्र के माध्यम से सूचित किया जाय।

अनुपालनः–सभी कार्यपालक अभियंता।

- सचिव महोदय द्वारा निदेशित किया गया कि क्षेत्रीय पदाधिकारीयों द्वारा उपलब्ध कराये गये विधायी प्रश्न का उत्तर प्रतिवेदन की जाँच मुख्यालय स्तर पर गठित टीम द्वारा Randomly जाँच की जाएगी। जाँचोपरांत उत्तर प्रतिवेदन में भिन्नता में पाये जाने की स्थिति में सभी संबंधित क्षेत्रीय पदाधिकारीयों पर अनुशासनिक कार्रवाई की जायेगी।

अनुपालनः–सभी कार्यपालक अभियंता/सभी सहायक अभियंता।

- बिहार विधान सभा के चालू सत्र में लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, तेघड़ा से संबंधित माननीय सदस्य द्वारा पम्प ऑपरेटर के मानदेय भुगतान के संबंध में सवाल उठाए गए। इस संबंध में संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि 80 ऐसे योजनाएं है जिसके अंतर्गत कार्यरत पम्प चालकों का मानदेय की भुगतान 3 सालों से लंबित है। साथ ही उनके द्वारा बताया गया कि अभी तक संवेदको के अधियाचना में हुई विलंब के कारण पम्प चालकों का भुगतान लंबित है। जिसके कारण योजना बंद पड़ी हुई है। 80 योजनाएं बंद पाए जाने के कारण कार्यपालक अभियंता, तेघड़ा को उतरदायित्व ठहराते हुए आरोप–पत्र गठित कर, विभागीय कार्रवाई संचालित करने का निदेश दिया गया।

अनुपालनः–अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव (मु0) के प्रावैधिक सचिव।

❖ क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, मुजफ्फरपुर प्रक्षेत्र, मुजफ्फरपुर एवं अधीक्षण अभियंता अचंल, छपरा को निदेशित किया गया कि अपने अधीनस्थ प्रमंडलों में ज्यादा समस्या आने वाले क्षेत्रों में Randomly लगभग 30 योजनाओं की जाँच करेंगे। साथ ही जाँच स्थल का Geo Location के साथ फोटोग्रॉफ बिहार विधान सभा के विभागीय Whatsapp Group पर अपलोड करेंगे।

अनुपालनः—संबंधित क्षेत्रीय मुख्य अभियंता / संबंधित अधीक्षण अभियंता।

❖ क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, मुजफ्फरपुर प्रक्षेत्र, मुजफ्फरपुर एवं अधीक्षण अभियंता अंचल, दरभंगा को निदेशित किया गया कि लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, दरभंगा क्षेत्रातंर्गत बनौली पंचायत के हर एक—एक वार्ड में योजनाओं की जाँच करेंगे एवं पम्प ऑपरेटर के मानदेय भुगतान से संबंधित समस्याओं का ससमय निराकरण करेंगे। साथ ही जाँच स्थल का Geo Location के साथ फोटोग्रॉफ बिहार विधान सभा के विभागीय Whatsapp Group पर अपलोड करेंगे।

अनुपालनः—संबंधित क्षेत्रीय मुख्य अभियंता / संबंधित अधीक्षण अभियंता।

अंत में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही संपन्न की गई।

18/02/26

(पंकज कुमार पाल)
सचिव

ज्ञापांकः— 14/बैठक—101/24—153 दिनांक— 23/2/26

प्रतिलिपिः— सभी क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण प्रक्षेत्र, बिहार / सभी अधीक्षण अभियंता (यांत्रिक सहित), लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण अंचल / सभी कार्यपालक अभियंता (यांत्रिक सहित), लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, बिहार / सभी सहायक यांत्रिक अभियंता—सह नोडल पदाधिकारी, लोक स्वास्थ्य यांत्रिक अवर प्रमंडल, बिहार, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(नित्यानन्द प्रसाद)
अभियंता प्रमुख—सह—विशेष सचिव
(मुख्यालय)

ज्ञापांकः— 14/बैठक—101/24—153 दिनांक— 23/2/26

प्रतिलिपिः— अभियंता प्रमुख—सह—विशेष सचिव (मु0 / का0प्र0) / अपर सचिव / सभी मुख्य अभियंता (उत्तर बिहार / दक्षिण बिहार / यांत्रिक / अनुश्रवण) / अभियंता प्रमुख—सह—विशेष सचिव के प्रावैधिक सचिव / विशेष कार्य पदाधिकारी / सभी संबंधित नोडल पदाधिकारी / बजट पदाधिकारी / आ0ई0टी मैनेजर / सभी प्रशाखा पदाधिकारी, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(नित्यानन्द प्रसाद)
अभियंता प्रमुख—सह—विशेष सचिव
(मुख्यालय)

ज्ञापांकः— 14/बैठक—101/24—153 दिनांक— 23/2/26

प्रतिलिपिः— सचिव के प्रधान आप्त सचिव / विशेष सचिव के वरीय प्रधान आप्त सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

(नित्यानन्द प्रसाद)
अभियंता प्रमुख—सह—विशेष सचिव
(मुख्यालय)